तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
27.9.17	143/2017 / सरकार V/s नवला [illegible]	

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पक्ष की ओर पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार (कोर्ट) सिणधरी उपस्थित। विप्रार्थीगण के विरूद्व पूर्व में ही एकतरफा कार्यवाही हो चुकी है। प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस कथन किया कि विवादित भूमि मे दर्शित रकबा का उपयोग आमजन द्वारा आवागमन हेतु उपयोग में लिया जा रहा है। और मौके पर पक्की सड़क बनी हुई है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में निजी खातेदारी मे दर्ज है। जिसे राजस्व रिकार्ड में गै.मु.रास्ता दर्ज किया जावे।

हमने प्रार्थी पक्ष को सुना। और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथा तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमे पाया कि,आवेदन मे दर्शित विवादित भूमि का रकबा किस्म बा.सोयम निजी खातेदारी में दर्ज है। जिसकी मौके पर उक्त प्रस्तावित रकबा का आमजन के आने जाने हेतु रास्ते के रूप में उपयोग मे लिया जा रहा है,और तहसीलदार सिणधरी द्वारा भी उक्त रकबे की किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज करने की सिफारिश की गई है। एवं विप्रार्थी बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नहीं हुई है। इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थी को प्रस्तावित रकबे की किस्म गै.मु.रास्ता किये जाने में कोई आपर्त्ति नहीं है।यदि आपर्ति होती तो न्यायालय मे हाजिर होकर चाराजोही करते। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण द्वारा नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है। कि प्रस्तावित रकबेनुसार मौके पर सड़क चल रही है। ऐसी सूरत में न्यायालय को गै.मु.रास्ता दर्ज किये जाने में कोई आपर्त्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन लोकभावना एवं जनहित को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया और शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली फेसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो। SDO

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

क्रमांकः / राजस्व / 2017 / 1271

दिनांक 27.9.17
मु.सं.143 / 2017

—::आदेश::—

श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के पत्रांकःप.12()(1)राजस्व / 2016 / 7205—40 दिनांक 10.10.2016 के द्वारा प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन किया है,कि राजस्व ग्राम **मेघवालों की ढाणियां(कला)** पटवार मण्डल **कोशलू** तहसील सिणधरी की जमाबंदी संवत् 2071—2074 के अनुसार के निम्नांकित भूमि निजी खातेदारी / सरकारी खाते में दर्ज है। लेकिन मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है,जिसे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें।

भूमिधारक तहसीलदार सिणधरी द्वारा अनुशंषा किये जाने पर राजस्व (ग्रुप—6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकःप3(2)राज—6 / 2003 / पार्ट / 04 दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू—अभिलेख नियम 1957 के नियम 60(एच) के तहत राजस्व ग्राम **मेघवालो की ढाणियां(कला)** पटवार मण्डल **कोशलू** तहसील सिणधरी की निम्नांकित निजी खातेदारी / सरकारी भूमि को **गैर मुमकिन रास्ता** दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ता सम्बन्धित खातेदार की खातेदारी में रहेगा। परंतु नक्शे में जमाबंदी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जायेगा व रास्ते के रकबे सहित किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज की जायेगी। तहसीलदार सिणधरी तदनुसार राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में आदेशानुसार पालना करते हुए पालना रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करावें। तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव व नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

क्र.स.	खातेदार का नाम	ख.न.	कुल रकबा (बीघा)	किस्म	रास्ते हेतु मौके अनुसार प्रस्तावित भूमि	
					रकबा	किस्म
1	नवला,सोना,विरधा पि.निम्बा, भाखराराम पुत्र चिमनाराम भीखोदेवी पत्नि चिमनाराम कौम मेगवंशी सा.देह खातेदार	381	47-16	बा.सो	0-06	गे.मु.रास्ता
2	अणसीदेवी पत्नि नवलाराम कौम मेगवंशी सा.देह	381/5	10-04	बा.सोयम	0-01	गे.मु.रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

	वालीदेवी पत्नि जेहाराम कौम मेगवंशी सा.देह	381/2	09-15	बा.सोयम	0-07	गे.मु.रास्ता
4	फरिया पुत्र खूमा, हीरा जैती पुत्रिया दौला कौम मेगवंशी सा. देह	382	20-19	बा.सोयम	0-09	गे.मु.रास्ता
5	समर्पण भूमि	384/5 384/4	1-00 0-10	बा.सोयम बा.सोयम	1-00 0-10	गे.मु.रास्ता गे.मु.रास्ता

(महावीरसिंह)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

क्रमांकः/राजस्व/2017/ 1272-73 दिनांक 27.9.2017

प्रतिलिपिः—सूचनार्थ एवं आवश्यक पालनार्थ।

1. श्रीमान जिला कलक्टर,बाड़मेर।
2. तहसीलदार सिणधरी।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Scanned by CamScanner